राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1938/2014.....जिला.....जोधपुर.....

उनवान–मैसर्स मेडीकेयर, बालाजी मंदिर के सामने, जालोरी गेट, जोधपुर बनाम् स.वा.क.अ., घट–द्वितीय, वृत्त–बी, जोधपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.2014	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय,, जोधपुर वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 15.10.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें स.वा.क.अ., घट–द्वितीय वृत्त–बी, जोधपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम के तहत् निर्धारण वर्ष **2008–09, के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 20.05.2014** के जरिये कायम की गयी मांग राशि में से कमशः **रू43,529/–के** विरूद्ध प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान, उक्त की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री पी.एम.चोपड़ा, एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.ओ बहस हेतु दिनांक 21.11.2014 को उपस्थित हुये। बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है । उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया व हस्तगत प्रकरणो के संबंध में दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का अध्ययन करने के पश्चात् यह विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करने के पश्चात् वसूली योग्य राशि **रू.13,529/–**रहती है। जिसके पश्चात् यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि हस्तगत प्रकरणें में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 के तहत् अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का उचित अवसर प्रदान किये जाने अथवा नहीं दिये जाने का महत्वपूर्ण व सारभूत बिन्दू विचारणीय है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर, **रू.13,529/–**की वसूली कार्यवाही पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित **अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है । रोक आदेश की पालना के अभाव में उक्त स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।** अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। निर्णय प्रसारित किया गया । 25.11.2014 (मदन लाल) सदस्य	